Annexure-I

### FORM - I

(For linear projects)
Government of <u>Uttarakhand</u>
Office of the District Collector
Pauri Garhwal

No 409 26- 42170 3- PED (2710 YA170)

Dated 16-02-15-

### TO WHOM SO EVER IT MAY CONCERN

In compliance of the Ministry of Environment and Forests (MoEF), Government of India's letter No, 11-9/98-FC(pt) dated 3<sup>rd</sup> August 2009 wherin the MoEF issued guidelines on submission of evidences for having initiated and completed the process of settlement of rights under the Scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights). Act, 2006 ('FRA' for short) on the forest land proposed to be diverted for non-forest purposes read with MoEF's letter dated 5<sup>th</sup> February 2013 wherein MoEF issued certain relaxation in respect of linear projects, it is certified that 4.427 hectares of forest land proposed to be diverted in favour of Rural Development Department for construction of Kaljikhal to Saknibadi Motor Road (Village Link Road) in Pauri Garhwal district falls within jurisdiction of Naugaon, Saknibadi, Deval, Goran, Sakni Choti villages in Pauri tehsils.

- (a) The complete process for identification and settlement of rights under the FRA has been carried out for the entire 4.427 hectares of forest area proposed for diversion. A copy of records of all consultation and meetings of the Forest Rights Committee of the Frest Rights Committee(s) Gram Sabha(s) Sub-Division Level Committee(s) and the District Level Committee are enclosed as annexure 01 to annexure 02
- (b) The diversion of forest land for facilities managed by the Government as required under section 3 (2) of the FRA have been completed and the Gram Sabhas have given their consent to it,
- (c) The each of concerned Gram Sabha(s) has certified that all formalities/ processes under the FRA have proposal does not involve recognized rights of Primitive Tribal Groups and Pre-agricultural communities.

Encl. As above.

(Chandra Sekhar Bhatt)
District Collector, Pauri Garhwal

गद्वाव

#### FORM - II

(For projects other than linear projects)
Government of <u>Uttarakhand</u>
Office of the District Collector
Pauri Garhwal

No	Dated
NO	Land the second

### TO WHOM SO EVER IT MAY CONCERN

In compliance of the Ministry of Environment and Forests (MoEF), Government of India's letter No, 11-9/98-FC(pt) dated 3rd August 2009 wherin the MoEF issued guidelines on submission of evidences for having initiated and completed the process of settlement of rights under the Scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights). Act, 2006 ('FRA' for short) on the forest land proposed to be diverted for non-forest purposes, it is certified that 4.427 hectares of forest land proposed to be diverted in favour of Rural Development Department for construction of Kaljikhal to Saknibadi Motor Road (Village Link Road) in Pauri Garhwal district falls within jurisdiction of Naugaon, Saknibadi, Deval, Goran, Sakni Choti villages in Pauri tehsils.

- (a) The complete process for identification and settlement of rights under the FRA has been carried out for the entire 4.427 hectares of forest land proposed for diversion. A copy of records of all consultation and meetinfs of the Forest Rights Committee are enclosed as annexure 01 to annexure 02
- (b) The proposal for such diversion (with full details of the project and its implications, in vernacular/local language) have been placed before each concerned Gram Sabha of forest-dwellers, who are eligible under the FRA.
- (c) The each of concerned Gram Sabha(s) has certified that all formalities/ processes under the FRA have been carried out and that they given their consent to the proposed diversion and the comperisation and ameliorative messures, if any, having understood the purpose and details of proposed diversion. A copy of certificate issued by the gram sabha of Naugaon, Saknibadi, Deval, Goran, Sakni Choti villages in Pauri tehsils is enclosed as annexure 01 to annexure 02.
- (d) The discussion and decisions on such proposals had taken pace only when there was a quorum of minimum 50% of the members of Gram Sabha present.
- (e) The diversion of forest land for facilities managed by the Government as required under section 3 (2) of the FRA have been completed and the Gram Sabhas have given their consent to it.
- (f) The rights of Primitive Tribal Groups and Pre-Agricultural Communities, where applicable have been specifically safeguarded as per section 3(1)(e) of the FRA.

Encl. As above.

(Chandra Sekhar Bhatt)
District Collector, Pauri Garhwal

istrict Collector, Pauri Garhwa

गदवाल

Annexure-II

Annexure .....

# OFFICE OF THE DEPUTY COMMISSIONER DISTRICT PAURI (U.K)

<u>Proceeding of the meeting of the District Level Committee constituted under Schedule Tribes & Other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Rights) Act (FRA), 2006.</u>

After scrutiny of the documents and detailed discussions, no objection/Claims were found to have been made & hence District Level Committee recommend the above case for diversion of land for the said purpose.

Place: PAURI

Dated: 10-02-15

Deputy Commissioner-cum-Chairman

District Level Committee

गदवान

It is Further Certified that:- Minutes of Meeting of construction of Kaljikhal to Saknibadi Motor Road (Length 7.575 Km) regarding FRA is as following:-

Sl. No.		Remark	
(a)	The complete process for identification and settlement of rights under the FRA had been carried out for the entire 4.427 hectares of forest area proposed for diversion. A copy of record of all consultations and meeting of the Forest Right Committee(s), Sub Division Level Committee(s) are enclosed as annexure.	Yes copy of record attached as there are no habitants belonging to Schedule Tribes and other Traditional Forest Dwellers.	
(b)	The diversion of forest land for facilities managed by the Government as required under section 3 (2) of the FRA have been completed and the Gram Sabhas have been given consent to it.		
(c)	The proposal does not involve recognized rights of primitive Tribal groups pre-agricultural Communities.		

श्रीवर्त ने ग्रहत जिला पंचायत सहस्रा

जिला समाज कल्याण अधिकारी

which trained

(चन्द्रशेखर मट्ट)

जिलाधिकारी

पीडी (महस्राति

गदवाल

अधिशासी अभियन्ता पी०एम०जी०एस०वाई० खण्ड लो०नि०वि० सतपुली (मु० कोटद्वार) परियोजना का नाम :- जनपद पौडी गढवाल में प्रधानमंत्री ग्रामीण सडक योजना के अन्तंगत क्लीखाल से साकनीबड़ी मोटर मार्ग (7.575 किमी) के नव निर्माण हेतु वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव।

# कार्यालय उप जिलाधिकारी, पौड़ीगढ़वाल अनुसुचित जनजाति और परम्परागत वनवासी अधिनियम 2006 के तहत प्रमाण-पत्र उपखण्ड स्तरीय समिति, विजिद्या

उपखण्ड पौढ़ीगढ़याल परिक्षेत्र के अन्तर्गत कल्जीखाल से साकनीबड़ी मोटर मार्ग (शून्य हे0 आरक्षित वन भूमि, 4.427 है0 सिविल एवं सोयम वन भूमि, शून्य हे0 वन पंचायत भूमि, अर्थात कुल 4.427 है0 वन भूमि) का पीठएमठजीठएसठवाईठ लोठनिठविठ सतपुली प्रयोक्ता एजेन्सी के पक्ष में हस्तान्तरित किये जाने हेतु अनूसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वनवासी (यन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत उपखण्ड स्तरीय समिति, (तहसील पौड़ीगढ़वाल) की दिनांक 🗪 🖂 🗂 को सम्पन्न बैठक की कार्यवाही का विवरण :--

अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं नियम 2008 को अन्तर्गत उपसाण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति की बैठक श्री <del>वीर्डान वाहा</del> उप जिलाधिकारी एवं अध्यक्ष उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति की अध्यक्षता में आयोजित की गयी। बैठक में माननीय सदस्यों की उपस्थिति निम्नानुसार है।

श्री भाग्याल ज्यान उपजिलाधिकारी भाग न्यान

श्री St. K. Kela उप प्रभागीय वनाधिकारी उद्भावन वन विभाग वाश्वीपदस्य का श्री आप सहायक समाज कल्याण अधिकारी अधिकारी अधिकारी सचिव

श्री डाम्बर्ग होट बीठडी०सी० क्षेत्र का बेक्क में ब्रागत करते हुए छप जिलाचिवारी की अनुमति से बैठक की कार्यवाही प्रारम्न की गई। माननीय सक्क्षमा की अवगत किया गुर्वा कि कल्फीर्थाल से साकनीयडी मोटर मार्ग परियोजना हेतु 4.427 हे0 वन भूमि प्रमुख्या एजन्सी की विश्व में हेश्लाम्बरित पंकव जाने हेतु प्रस्ताव माननीय सदस्यों के समक्ष रखा गया। ग्राम सभा के अन्तर्गत वनीविकार का कोई मामला लिम्बत नहीं है। उक्त भूमि का संबंधित ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से पारित प्रस्ताव के आधार पर सार्वजनिक उपयोग हेत् प्रत्यावर्तन की अनुशासा की गई है।

संबंधित उप प्रमागीय वनाविकारी, विकास द्वारा अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं तत्सम्बंधी नियम 2008 के प्राविधान को स्पष्ट करते हुए जानकारी से माननीय सदस्यों को अवगत कराया कि वन अधिनिग्रम, 2006 के अन्तर्गत किसी भी दावेदार का दावा/आवेदन पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है। इस संबंध में ग्राम सभा/पंचायत द्वारा अनापत्ति जारी की जा चुकी है। अतः प्रकरण में उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति द्वारा अनापुत्ति जारी की जा सकती है।

बैठक में सर्वसम्मति से उपखण्ड पाँडीगढ़वाल परिक्षेत्र के अन्तर्गत कल्जीखाल से साकनीवडी मोटर मार्ग परियोजना के निर्माण हेत् 4.427 हे० वन भूमि पी०एम०जी०एस०वाई० लो०नि०वि० सतपुली प्रयोक्ता एजेन्सी के जनहित में सक्षम प्राधिकारी से अनुमति प्राप्त कर प्रत्यावर्तित किये जाने पर सहमति व्यक्त की नयी।

> उप जिलाधिकारी / अस्यक्ष उपखण्ड स्तरीम वन अधिकार समिति तहसील- पीड़ी गढ़वाल जनपद- पौडी गडवाल

प्रतिलिपि :- जिलाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

> उप जिलाधिकारी / अस्यम उपखण्ड उत्तरीय वन अधिकार समिति

तहसील- पोडी गढवाल जनपद- योडी गढ़वाल परियोजना का नाम :- जनपद पौड़ी गढ़वाल में प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के अर्न्तगत क्लीखाल से साकनीबड़ी मोटर मार्ग (7.575 किमी) के नव निर्माण हेतु वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव।

# 


# अनापत्ति प्रमाण पत्र

उत्तराखण्ड में जनपद पौड़ी गढ़वाल के अन्तर्गत कल्जीखाल से साकनीबड़ी मोटर मार्ग परियोजना के निर्माण हेतु (शून्य हे0 आरक्षित वन भूमि, 4.427 हे0 सिविल सोयम भूमि, वन पंचायत भूमि शून्य हे0) अर्थात कुल 4.427 है0 वन भूमि का सामानिकाल विभाग / संस्था के पक्ष में भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा प्रत्यावर्तित करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया।

उक्त प्रकरण के विषय में ग्राम पंचायत कि इंग्ला कि विषय में ग्राम पंचायत कि इंग्ला कि प्रयोक्ता एजेंन्सी द्वारा आवेदित वन भूमि के संबंध में अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्मत करने हेतु विस्तृत वर्षा की गई। यह कि वन अधिकार अधिनियम, 2006 के प्राविधानों के तहत् आवेदित वन भूमि में आदिवासी अथवा किसी गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य है अथवा नहीं। उपस्थित सभी ग्रामवासियों द्वारा स्पष्ट किया गया कि उक्त वन भूमि में किसी भी आदिवासी अथवा गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य नहीं किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित वन भूमि पर ग्रामवासियों के परम्परागत अधिकारों का हनन नहीं हो रहा है।

वर्चा के उपरान्त ग्राम समा द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया / प्रस्ताव पारित किया गया कि ग्राम साकनीबढ़ी एवं साकनीछोटी के ग्रामवासियों को उक्त वन भूमि 4.427 है। प्रयोक्ता एजेन्सी को परियोजना के निर्माण हेत दिये जाने पर कोई आपत्ति नहीं है।

प्रमाणित किया जो सत्य एवं सही है।



प्रपत्र 30.4

# दिनांक उक्षा को ग्राम समा की सम्पन्न बैठक की उपस्थिति ग्राम पंचायत साकनीबड़ी, साकनीछोटी

कमाक	ग्राम संगा में उपस्थित वरिष्ठ ग्रामवासियों के नाम	हस्ताक्षर
1	72-9 14 2518 4-2110 3919	62M
	212937 W Want 21 2912011	mass
	Britist' DIANTE(2)	हरेने सिंह
	Braker Covered Field	किस्त सिंह
	\$100 Idl 350	Photo:
3	20300 3011 700	3 37 Eng -
-	172-116-L 17	AND WAY
3	किछालाइसी ट्यानमें होते	विशामार्
,	कंगला देवी देवन	कमल विवा
10	पुरुषा देश है न न	युवापा देवा
1:	देवेच जान देवन	डिचेन्स लिए
2	47044 AT SU	कलाबर विवा
3	कुळहीप हिंह नीमान	Kuller Sigl.
4	क्षेत्र स्थित एव। ।	Dis- dans
5	ळ न्वता हिंहें।।	Bohnin
6		
7	and deline district	
8	The state Colder	

Man weeth

भूम वास्ताव मार्ग

ग्राम प्रधान स्थाप प्राप्त रक्षात्र क